उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या /2018/5(120)/XXVII(8)/2018/CT-20
देहरादूनः: दिनांकः: 16 अप्रैल, 2018

## अधिसूचना

चूँकि, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 55 के अनुसार, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार, अधिसूचना द्वारा, संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के अधीन अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र संगठन के किसी विशिष्ट अभिकरण या किसी बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन को, विदेशों के वाणिज्यिक दूतावासों या राज दूतावासों को और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को, जिसे इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, विनिर्दिष्ट कर सकेगी (जिन्हें इस अधिसूचना में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट व्यक्ति कहा गया है), जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के अधिसूचित प्रदायों पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने के हकदार होंगे ;

चूँकि, राज्य सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन कर के प्रतिदाय का दावा करने के लिए, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 द्वारा, अधिसूचना सं0 508/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तारीख 28 जून, 2017 और अधिसूचना सं0 288/2018 /4(120)/XXVII(8)/2018/CT-14 तारीख 28 मार्च, 2018 द्वारा अन्तिम बार यथासंशोधित, के माध्यम से, शर्तें और निबंधन अधिकथित किए हैं;

चूँकि, उक्त अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (2) के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन यथा अधिसूचित विनिर्दिष्ट व्यक्ति, माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों पर उनके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय के हकदार होंगे, वे ऐसे प्रतिदाय के लिए, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस तिमाही के, जिसमें ऐसा प्रदाय प्राप्त किया था, अंतिम दिन से छह मास की समाप्ति के पूर्व आवेदन कर सकेंगे ;

चूँकि, उक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन प्रतिदाय का दावा फाइल करने की सुविधा अभी हाल ही में सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है ;

चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो अधिकारिता वाले कर प्राधिकारी को, यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में, ऐसी तिमाही के, जिसमें ऐसा प्रदाय प्राप्त किया था, अंतिम दिन से अठारह मास की समाप्ति से पूर्व माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों पर उनके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय के लिए आवेदन करेंगे ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2018 से प्रभावी होगी।

अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर आयुक्त वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

DT-GST Notification/ Special Org. of United Nation(02-04-2018)

17/04/2018

508
16/04/2018